राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामधन बनाम बाबूलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	414/2020	
22/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। पत्रावली अधिवक्ता रेस्पो. की लिखित/मौखिक बहस हेतु दिनांक 24/12/2025 को पेश हो।	
24/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने पूर्व में ही अपील मीमो को उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया जा चुका है। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 29/12/2025 को पेश हो।	
29/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14/07/2017 पारित करते हुए तहसीलदार बस्सी को ग्राम बस्सी में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 568 में दर्ज खसरा नम्बर 1997 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1998 रकबा 2.0600 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 2013 रकबा 0.7700 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.8400 का कब्जे काश्त, निर्माण इत्यादि को मध्यनजर रखते हुए विभाजन प्रस्ताव किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार चाकसू द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12/03/2020 पारित कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12/03/2020 के विरुद्ध यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की समुचित तामिल करवाये बगैर एवं उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होती है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 कैलाश की और से उसके पुत्र कमल कुमार सैनी के उपस्थित होकर सहमति प्रकट किये जाने का अंकन करते हुये अन्तिम निर्णय व	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामधन बनाम बाबूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

डिक्री दिनांक 12/03/2020 मुताबिक कुर्रेजात सहमति के आधार पर पारित की गयी है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कमल कुमार सैनी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही है ऐसे में किसी तथाकथित व्यक्ति के पक्षकार प्रकरण नही होने के बावजूद उसकी सहमति दर्शित कर कानूनन निर्णय पारित नही किया जा सकता, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की स्पष्ट रूप से अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय व् डिक्री पारित किया जाना जाहिर होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12/03/2020 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से ख़ारिज किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान की समुचित तामिल करवाकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये एवं विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये पुन: विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करे | तदनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 29/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |